उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradsesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या–115–पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 19–108–पेंशन–31 / 90(TC) **दिनांक 11 फरवरी, 2019**

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय : **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के ऐसे पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनरों, जो पंचम वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2018 एवं दिनांक 01.07.2018 से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–422–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 18–108–पी / 1990 (टी0सी0), दिनांक 09 मई, 2018 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ऐसे पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर एवं अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनर, जो पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–12 / 2018 / सा–3–273 / दस–2018–301 / 2000 टीसी, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 तथा संख्या–25 / 2018 / सा–3–938 / दस–2018–301 / 2000 टी0सी0, दिनांक 14 नवम्बर, 2018 की अनुरूपता में उन्हें अनुमन्य पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 एवं दिनांक 01 जुलाई, 2018 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	बढ़ी हुई महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	महंगाई राहत की देय कुल दर
01	01 जनवरी, 2018	274 प्रतिशत
02	01 जुलाई, 2018	284 प्रतिशत

2. मँहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे भाग से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे भाग अथवा उससे अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1054–डब्लू0सी / राविप–औसं–19–14–(23) एक–85, दिनांक 16.06.1988 में निहित प्राविधानानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

4. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः....2

संख्या–115(I)पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियां।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाईल।

आज्ञा से

(सैयद आरिफ हैदर)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)